TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी- /2014 R. 2570 - III/14

105

रतना अहिरवार पुत्र पंचा अहिरवार आयु 58 वर्ष पेशा–कृषि, निवासी–मिनौरा, तह. व जिला–टीकमगढ़

....निगरानीकर्ता

'बनाम'

1. धीरेन्द्र तनय रामप्रसाद साहू आयु 27 वर्ष निवासी बड़े पुल के पास, टीकमगढ़ म.प्र.
2. श्रीमती लाड़कुंवर पत्नी घनश्याम यादव आयु 46 वर्ष, निवासी ग्राम मिनौरा तह. व जिला–टीकमगढ़
3. श्रीमती राधा पत्नी राजाराम अहिरवार आयु 30 वर्ष, निवासी कुंवरपुरा, तह. व जिला–टीकमगढ़
4. मध्यप्रदेश शासन

....प्रति उत्तरदाता

क्रमांक 2476 रजिस्टर ... आज दिनांक ... को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-8-14 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 सहपठित धारा 165 उपधारा 7(ख)

न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, वृत्त – समर्रा के आदेश दिनांक 25.03.2014 एवं प्राप्त इतलाही पंजी की ऑर्डरशीट दिनांक 29.04.2014 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

महोदय,

निगरानीकर्ता की विनय निम्न प्रकार है–

1. यह कि निगरानीकर्ता अतिगरीबी रेखा में जीवनयापन करता है, उसे म.प्र. शासन के नियमानुसार भू–राजस्व संहिता 1959 के उपबंधों और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन तहसीलदार टीकमगढ़ के न्यायालय से प्रकरण क्रमांक 97 वर्ग क्रमांक अ/19(4) 1979–80 में भूमिहीन होने के कारण भरण–पोषण हेतु भूमि खसरा नं. 9/11 रकवा 1.147 हे. जिसका लगान 2.84 होता है, भूमि स्वामी अधिकारों की मंजूरी के लिय पट्टा दिया था जो म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के धारा 165 (7)ख के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किया गया था। जिसका परिशिष्ट भाग–ए संलग्न है।
2. यह कि निगरानीकर्ता पढ़ा-लिखा व्यक्ति नहीं है, वह कानून की बारीकियों को नहीं जानता, उसे प्रति उत्तरदाता क्रमांक 03 के द्वारा गुमराह एवं धोखा देकर जमीन हड़पने की नियत से अनुबंध की जगह 1 लाख 29 हजार रुपये के एवज में 0.405 हे. अंश का विक्रय विलेख लिखवा लिया व अपने नाम जमीन हड़पने की नियत से नामांतरण पंजी भी भरवा ली। लेकिन अधीनस्थ जमीन निगरानीकर्ता के अधिपत्य में ही रही, उस राशि के बढ़ते ब्याज एवं भार से निगरानीकर्ता तंग हो गया तो गांव की अनावेदक क्रमांक 02 ने बहला–फुसलाकर व प्रलोभन देकर 1 लाख 29 हजार रुपये देकर जमीन बचाने के लिये अनुबंध पत्र पर रकम देना इस शर्त के साथ कि तुम और अनावेदक क्रमांक 03 एग्रीमेंट कर रुपया ले लो, हम बाद में जमीन वापिस कर देंगे।

11

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2570-तीन/2014 जिला टीकमगढ रतना विरूद्ध धीरेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार समर्रा के आदेश दिनांक 25-03-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 24-07-2014 को अपील याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।	

	6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 4.1.19	